

रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस०एम० 14.



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 10 मार्च, 1990/19 फाल्गुन, 1911

हिमाचल प्रदेश सरकार

पशु पालन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 सितम्बर, 1989

संख्या ए०एच०वाई०एफ०(5)-3/85.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 36 और 37 के साथ पठित धारा 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

भाग 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद् (निर्वाचन) नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा.—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों—

- (क) “अधिनियम” से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) अभिप्रेत है,
- (ख) “निर्वाचन” या “पुनर्निर्वाचन” से निर्वाचन अथवा पुनर्निर्वाचन अभिप्रेत है,
- (ग) “प्ररूप” से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है,
- (घ) “नाम निर्देशन” या “पुनःनिर्देशन” से प्रादेशिक पशु चिकित्सा परिषद् का नामांकन या पुनःनामांकन अभिप्रेत है,
- (ङ) “रजिस्ट्रार” से परिषद् का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है,
- (च) “रजिस्टर” से अधिनियम के अध्याय 7 के अधीन रखा गया हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा व्यवसायी रजिस्टर अभिप्रेत है,
- (छ) “रिटनिंग अधिकारी” या “सहायक रिटनिंग अधिकारी” से नियम 8 के अधीन हिमाचल सरकार द्वारा उस रूप में नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है,
- (ज) “राज्य पशु चिकित्सा परिषद्” से अधिनियम 1984 की धारा 32 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा अभिप्रेत है,
- (झ) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है, और
- (ञ) “राज्य सरकार” से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों को, जो इनमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

## भाग 2

### राज्य पशु चिकित्सा का निर्वाचन

3. निर्वाचन के लिये अधिसूचना.—धारा 32 की उप-धारा (1) के खण्ड के अधीन परिषद् के सदस्यों को निर्वाचित करने के प्रयोजन करने के लिये, राज्य सरकार, रजिस्टर में अधिनियम के अध्याय 7 के अन्तर्गत प्रविष्ट व्यक्तियों से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा यह अपेक्षा करेगी कि वह उन नियमों के उपबन्धों के अनुसार उक्त सदस्यों को निर्वाचित करें।

4. नामावली की तैयारी.—(1) नियम 3 के अधीन अधिसूचना जारी करने के पश्चात् यथाशीघ्र, रजिस्ट्रार नामावली तैयार करेगा, जिसमें प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का नाम होगा जिसका नाम रजिस्टर में प्रविष्ट है।

(2) मतदाताओं के नाम उसी प्रकार क्रमांकित किये जाएंगे जिस प्रकार वे रजिस्टर में प्रविष्ट हैं।

(3) पंजीकार, नियम 4 के उप-नियम (1) के अधीन तैयार की गई नामावली को, दावे तथा आक्षेप के आमन्त्रण के लिये प्रकाशित करेगा तथा उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराकर राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के कार्यालय में प्रदर्शित करेगा।

5. दावे तथा आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि.—नामावली में किसी नाम के सम्मिलित किये जाने के लिए प्रत्येक दावा और उसमें किसी प्रविष्टि के प्रति प्रत्येक आक्षेप, नियम 4 (3) के अधीन प्राप्त एक और दो में नामावली के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर दाखिल किया जाएगा।

6. दावे और आक्षेप का प्रारूप तथा उनके निपटाने की रीति.—(1) प्रत्येक दावे पर उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे जो अपने नाम की नामावली में सम्मिलित किए जाने की अपेक्षा करता है।

(2) नामावली में नाम के सम्मिलित किए जाने के प्रति प्रत्येक आक्षेप उस व्यक्ति द्वारा किया जायेगा, जिसका नाम नामावली में पहले से ही सम्मिलित है और उस पर किसी ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जायेंगे जिसका नाम भी उसी नामावली में पहले से ही सम्मिलित है।



(3) यथा स्थिति, प्रत्येक दावे या आक्षेप का पंजीकार द्वारा परीक्षण किया जायेगा तथा उस पर वह अपनी टिप्पणी देगा तथा किसी भी दावे का आक्षेप को मंजूर या नामंजूर कर सकेगा :

परन्तु किसी दावे या आक्षेप को तब तक मंजूर नहीं किया जायेगा जब तक उसे करने वाले व्यक्ति को ऐसे नामंजूर किए जाने का प्रतिरूपण करने का अवसर न दिया गया हो।

(4) किसी दावे या आक्षेप को मंजूर या नामंजूर करने से सम्बन्धित पंजीकार का निर्णय अन्तिम होगा।

7. नामावली का अन्तिम प्रकाशन.—(1) पंजीकार नियम 6 के अधीन यदि कोई दावे और आपत्तियाँ हैं, के निपटाने के पश्चात् उक्त नियम के अधीन अपने विनिश्चयों को कार्यान्वित करने और नामावली में किसी लेखन या मुद्रण सम्बन्धी गलती और ऐसी अन्य अशुद्धियों को जो बाद में पता चले या उनकी जानकारी में लाई जायें, सुधारने के लिए संशोधनों की सूची तैयार करेगा।

(2) पंजीकार, संशोधनों की सूची सहित नामावली को उसकी एक सम्पूर्ण प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराके राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के कार्यालय में प्रदर्शित करेगा।

(3) इस प्रकार प्रकाशित किए जाने पर, संशोधनों की सूची सहित नामावली, ऐसे व्यक्तियों की निर्वाचक नामावली होगी, जो धारा 32 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन परिषद् के सदस्य निर्वाचित कर सकेंगे।

(4) उप-नियम 2 के अधीन प्रकाशित संशोधनों की सूची सहित नामावली की एक प्रति, पंजीकार द्वारा राज्य सरकार को भजी जायेगी।

8. रिटनिंग आफिसर और सहायक रिटनिंग आफिसर की नियुक्ति.—(1) राज्य सरकार नियम 7 के अधीन प्रकाशित निर्वाचक नामावली की प्रति प्राप्त करने के पश्चात्, एक रिटनिंग आफिसर जो सरकार का अधिकारी होगा, नियुक्त करेगी।

(2) राज्य सरकार, एक या अधिक ऐसे व्यक्ति को भी, जो सरकार के अधिकारी ही होंगे, सहायक रिटनिंग आफिसर के रूप में रिटनिंग आफिसर के कृत्यों के पालन में उसकी सहायता करने के लिये नियुक्त करेगी।

(3) प्रत्येक सहायक रिटनिंग आफिसर, रिटनिंग आफिसर के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, रिटनिंग आफिसर के सभी कृत्यों या उसमें से किसी कृत्य का पालन करने के लिये सक्षम होगा :

परन्तु कोई भी सहायक रिटनिंग आफिसर के किसी ऐसे कृत्य का पालन नहीं करेगा जो मतपत्रों के जारी करने, मतपत्रों की गणना करने और निर्वाचन के परिणामों की घोषणा से सम्बन्धित है।

9. नामा निर्देशन आदि के लिये तारीखें नियत करना.—(1) रिटनिंग आफिसर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा या किसी अन्य रीति से जो ठीक समझें:—

(क) नाम निर्देशन करने के लिए तारीख नियत करेगा, जो उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् सातवें दिन की होगी या यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश दिन है तो अगले उत्तरवर्ती दिन को होगी, जो सार्वजनिक अवकाश दिन नहीं है;

(ख) अभ्यर्थताएं वापिस लेने की अन्तिम तारीख नियत करेगा, जो नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख के पश्चात् के दूसरे दिन की होगी या यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश है तो अगले उत्तरवर्ती दिन को होगी जो सार्वजनिक अवकाश दिन नहीं है;

(ग) वह तारीख नियत करेगा, जिसकी यदि आवश्यकता हो तो मतदान होगा, जो अभ्यर्थताएं वापिस लेने की अन्तिम तारीख लेने के पश्चात् के तीसवें दिन के पूर्व न होने वाली तारीख होगी; और

(घ) मतों की गणना के लिए और परिणामों घोषणा के लिए तारीख और समय व स्थान नियत करेगा; जो मतदान की तारीख से तीसरे दिन के पश्चात् नहीं होगी।



(2) (उप-नियम (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा परिषद् के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों का नाम निर्देशन भी आमन्त्रित किया जायेगा और वह स्थान विनिर्दिष्ट किया जायेगा जहां नामनिर्देशन पत्र परिदत्त किये जायेंगे।

10. नामनिर्देशन पत्र का प्रस्तुत किया जाना और विधिमान्य नामनिर्देशनों के लिये अपेक्षाएँ.—(1) नियम 9 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन नियत की गई तारीख को या उसके पहले प्रत्येक अभ्यर्थी प्रारूप (1) में नामनिर्देशन पत्र, रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा रिटर्निंग आफिसर को भेजेगा या उसे स्वयं परिदत्त करेगा।

(2) प्रत्येक नामनिर्देशन पत्र पर दो मतदाताओं द्वारा, एक प्रस्तावक के रूप में, और दूसरा समर्थक के रूप में हस्ताक्षर किये जाएंगे और वह उनके द्वारा प्रस्तावित तथा समर्पित अभ्यर्थी द्वारा अनुमत होगा :

परन्तु कोई मतदाता, प्रस्थापक या समर्थक के रूप में, भरे जाने वाले स्थानों से अधिक नामनिर्देशन पत्रों पर हस्ताक्षर नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि यदि कोई मतदाता, भरे जाने वाले स्थानों से अधिक संख्या में नाम निर्देशन पत्रों पर हस्ताक्षर करता है तो भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बराबर रिटर्निंग आफिसर द्वारा पहले प्राप्त नामनिर्देशन पत्र, यदि, वह अन्यथा ठीक है तो, विधि मान्य माने जायेंगे और यदि भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक उसी मतदाता द्वारा हस्ताक्षरित ऐसे नामनिर्देशन पत्र एक साथ प्राप्त किये जाते हैं, तो ऐसे सभी नामनिर्देशन पत्र अवधिमन्य माने जायेंगे।

(3) प्रत्येक नामनिर्देशन पत्र के प्राप्त होने पर रिटर्निंग आफिसर उस पर प्राप्ति की तारीख और समय पृष्ठांकित करेगा।

11. नामनिर्देशन पत्र का नामंजूर किया जाना.—किसी ऐसे नामनिर्देशन पत्र को नामंजूर कर दिया जायेगा जो रिटर्निंग आफिसर द्वारा इस निमित्त नियत की गई तारीख को उस से पहले प्राप्त नहीं होता है।

12. नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा.—(1) नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिए रिटर्निंग आफिसर द्वारा नियत की गई तारीख को और समय पर, अभ्यर्थी और प्रत्येक अभ्यर्थी का प्रस्थापक तथा समर्थक या अभ्यर्थियों द्वारा उस निमित्त सम्यक के रूप में प्राधिकृत अन्य प्रतिनिधि रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में उपस्थित हो सकेंगे, जो उन्हें सभी अभ्यर्थियों के ऐसे नामनिर्देशन पत्रों, जो यथापूर्वोक्त उसके द्वारा प्राप्त किए गए हैं, की परीक्षा करने के लिए अनुज्ञात करेगा।

(2) रिटर्निंग आफिसर इस प्रकार प्राप्त नामनिर्देशन पत्रों की परीक्षा करेगा और ऐसे सभी प्रश्नों का विनिश्चय करेगा जो किसी नामनिर्देशन की विधिमान्यता के सम्बन्ध में हों, और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

13. अभ्यर्थिता का वापिस लिया जाना.—(1) कोई अभ्यर्थी, अपनी अभ्यर्थिता, अपने द्वारा हस्ताक्षर लिखित सूचना द्वारा और उसे नियम 9 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग), के अधीन नियत तारीख के पूर्व रिटर्निंग आफिसर को रिदत्त कर के वापिस ले सकगा।

(2) किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापिस ले ली है अभ्यर्थिता वापिस लिए जाने को रद्द करने या उसी निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में पुनः नाम विनिर्दिष्ट करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

14. निर्वाचन करने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन.—(1) उस अवधि के, जिसके भीतर नियम 13 के अधीन अभ्यर्थिता वापिस ली जा सकेगी, समाप्त होने के ठीक पश्चात् रिटर्निंग आफिसर, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की अर्थात्, उन अभ्यर्थियों की, जिन्हें विधिमान्य रूप से नामनिर्दिष्ट किया गया था और जिन्होंने उक्त अवधि के भीतर अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं ली है सूची तैयार करेगा और उसे प्रदेश के प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित करेगा।

(2) उक्त सूची में नाम वही क्रम में होंगे और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के पक्षे नाम निर्देशन पत्रों में दिये गये के अनुसार होंगे।



(3) उक्त सूची हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित की जायेगी और ऐसी रीति से उसका व्यापक प्रचार किया जायेगा जैसे रिटनिंग आफिसर ठीक समझें।

15. मतदान.—(1) यदि निर्वाचन के लिए सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या, निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं है तो रिटनिंग आफिसर ऐसे अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के बारे में तत्काल यह घोषणा करेगा कि वह/वे सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है/ गये हैं।

(2) यदि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या इस प्रकार निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक है तो रिटनिंग आफिसर मतदान के लिये नियत की गई तारीख से 30 दिन पहले प्रारूप 4 में सूचना पत्र, जिसके साथ प्रारूप 5 में संख्यांकित घोषणा पत्र वर्ण क्रम में अभ्यर्थियों के नामों से युक्त और रिटनिंग आफिसर के अध्याक्षर या प्रतिहस्ताक्षर वाले प्रारूप छः (6) में मतपत्र, रिटनिंग आफिसर के पता सहित मतपत्र वाला लिफाफा और उक्त आफिसर के पता, सहित बाह्य लिफाफा में होगा, विदेश में निवास करने वाले या व्यवसाय करने वाले प्रत्येक मतदाता को हवाई डाक द्वारा और अन्य मतदाता जो प्रदेश में या प्रदेश के बाहर पंजीकृत डाक द्वारा भेजेगा :

परन्तु मतपत्र और अन्य सम्बन्धित कागजपत्र किसी भी मतदाता को, उसके द्वारा मतदान के लिए नियत तारीख से पूर्व उस के लिए रिटनिंग आफिसर को आवेदन किये जाने पर उस दशा में भेजे जा सकेंगे, जब रिटनिंग आफिसर को यह समाधान हो जाता है कि कागजपत्र उसे नहीं भेज गये हैं।

(3) किसी मतदाता को भेजे गये ऐसे प्रत्येक सूचना पत्र को वाबत डाक में डाले जाने का प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किया जायेगा।

(4) कोई भी मतदाता जिसने डाक द्वारा भेजे गये मतपत्र और अन्य सम्बन्धित कागजपत्र प्राप्त नहीं किये हैं या जिसने उन्हें खो दिया है या जिसके मामले में कागजपत्र रिटनिंग आफिसर को लौटाने से पहले असावधानी से खराब हो गये हैं, उस आशय की लिखित घोषणा भेज सकेगा और रिटनिंग आफिसर से मतदान के लिए नियत तारीख से 15 दिन पहले नये कागजपत्र उसे भेजने वा अनुरोध कर सकेगा। और यदि कागजपत्र खराब हो गये हैं तो खराब हुए कागजपत्र रिटनिंग आफिसर को लौटा दिये जायेंगे जो उन्हें प्राप्त होने पर रद्द कर देगा।

(5) ऐसे प्रत्येक मामले में जिस में ऐसे नये कागजपत्र जारी किए गए हैं निर्वाचक नामावली में मतदाता के नाम से, सम्बन्धित निर्वाचक के सामने एक चिन्तः यह धोतन करने के लगा दिया जाएगा जैसे कि नये कागजपत्र जारी किये गये हैं।

(6) कोई भी निर्वाचन किसी मतदाता द्वारा अपने मतपत्र और अन्य सम्बन्धित कागजपत्र प्राप्त किये जाने के कारण विधिमान्य नहीं होगा।

(7) प्रत्येक मतदाता को उतने अभ्यर्थियों को मत देने का अधिकार होगा जितने भरे जाने वाले स्थान हैं और मत अनन्तरणीय होगा।

(8) अपना मत अभिलिखित करने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक मतदाता, सूचना पत्र प्रारूप 4 में दिए गये निर्देशों के अनुसार घोषणा पत्र प्रारूप 5 और मतपत्र प्रारूप 6 भरने के पश्चात् मत पत्र को मत पत्र वाले लिफाफे में डाल कर उसे चिपका देगा और घोषणा पत्र सहित उक्त लिफाफे को रिटनिंग आफिसर के पता सहित वाले बाह्य लिफाफे में बन्द कर देगा उस और उस बाह्य लिफाफे को अपने खर्च पर रिटनिंग आफिसर को डाक द्वारा या दस्ती भेजेगा जिससे कि वह उसके पास मतदान के लिये नियत तारीख को मतदान के बन्द होने के लिये नियत समय से पहले पहुंच जाए।

(9) घोषणा पत्र से युक्त लिफाफे और मतपत्र से युक्त बन्द लिफाफों के डाक द्वारा या दस्ती प्राप्त होने पर, रिटनिंग आफिसर बाह्य लिफाफे पर प्राप्ति की तारीख और समय पृष्ठांकित करेगा।

(10) कथित दिन और समय के पश्चात् प्राप्त सभी लिफाफों को नामंजूर कर दिया जायेगा।

(11) लिफाफों का खोला जाना.—(1) रिटनिंग आफिसर बाह्य लिफाफों को, उस स्थान पर जहां के पता पर लिफाफा भेजा गया है, मतदान के लिए नियत तारीख को मतदान के बन्द होने के लिए नियत समय के ठीक पश्चात् खोलेगा।



(2) बाह्य लिफाफा खोले जाने के समय, कोई अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित हो सकेगा या वह उपस्थित रहने के लिए अपने द्वारा लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई प्रतिनिधि भेज सकेगा।

17. मतपत्र वाले लिफाफे का नामजूर किया जाना.— (1) कोई मतपत्र वाला लिफाफा रिटर्निंग आफिसर द्वारा उस दशा में नामजूर कर दिया जायेगा यदि— (क) बाह्य लिफाफों में मतपत्र वाले लिफाफे के बाहर कोई घोषणा न हो या (ख) घोषणा पत्र वह नहीं जो रिटर्निंग आफिसर के द्वारा भेजा गया था या (ग) घोषणा पत्र पर मतदाता द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं या (घ) मतपत्र को मतपत्र वाले लिफाफे के बाहर रखा गया है या (ङ) एक से अधिक घोषणा पत्र या मतपत्र वाले लिफाफे एक ही और उसी बाह्य लिफाफे बन्द किये गये हैं।

(2) नामजूर किये जाने के प्रत्येक मामले में, मतपत्र वाले लिफाफे और घोषणा पत्र पर "नामजूर" किया गया शब्द पृष्ठांकित किये जायेंगे। नामजूर किये जाने के कारण मतपत्र वाले लिफाफे पर भी संक्षेप में अभिलिखित किये जायेंगे।

(3) अपना यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मतदाताओं ने घोषणा पत्रों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं, रिटर्निंग आफिसर सभी पत्रों को, नियम 20 के अधीन निपटान होने पर, सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

18. मतों की संवीक्षा और गणना.— (1) गणना के लिए नियत तारीख को मतपत्र वाले लिफाफे, उन से भिन्न जो नियम 17 के अधीन नामजूर कर दिये हैं, खोले जायेंगे और मतपत्रों को निकाल लिया जायेगा और उन्हें एक सा मिला लिया जायेगा।

(2) उसके पश्चात् मतपत्रों की संवीक्षा की जायेगी और विधिमानी मतों की गणना की जायेगी।

(3) गणना की प्रतिक्रिया की निगरानी के लिए कोई अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित हो सकेगा या वो अपने द्वारा लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई प्रतिनिधि भेज सकेगा।

(4) कोई मतपत्र उस दशा में अवधिवान्य हो जायेगा, यदि :—

(क) उस पर रिटर्निंग आफिसर के अध्याक्षर या प्रतिरूप हस्ताक्षर नहीं हैं, या

(ख) कोई मतदाता मतपत्र पर अपना नाम हस्ताक्षरित करता है या उस पर कोई ऐसा शब्द लिखता है, या कोई उस पर कोई ऐसा चिन्ह बनाता है जिसके द्वारा वह उसके मतपत्र के रूप में पहचानने योग्य हो जाये, या

(ग) उस पर कोई मत अभिलिखित नहीं किया जाता है, या

(घ) वह प्रयोग किये गये मत की अनिश्चितता के कारण शून्य हो जाता है, या

(ङ) उस पर अभिलिखित मतों की संख्या निर्वाचन होने वाले संख्या से अधिक हो जाती है या

(च) मत का अभिलेखन उस प्रयोजन के लिए उपबन्धित स्थान से भिन्न किसी स्थान पर किया गया है।

(5) रिटर्निंग आफिसर, यदि ऐसा अनुरोध किया जाये, मतपत्रों को मतों की संवीक्षा और गणना के समय अभ्यर्थियों को, या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को दिखाएगा।

(6) यदि कोई अभ्यर्थी या उसका प्रतिनिधि रिटर्निंग आफिसर द्वारा किसी मतपत्र के स्वीकार किये जाने पर या किसी मत पत्र के नामजूर किये जाने पर, इस आधार पर आक्षेप करता है कि वह विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता तो उसका रिटर्निंग आफिसर द्वारा तुरन्त विनिश्चय किया जायेगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(7) रिटर्निंग आफिसर, ऐसे निदेशों के अनुसार जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किये जायें उतने संवीक्षक नामनिर्दिष्ट करेगा जितने वह ठीक समझे।

19. परिणामों की घोषणा.— (1) जब मतों की गणना पूरी हो जायें तब रिटर्निंग आफिसर अभ्यर्थियों की एक सूची प्रत्येक द्वारा प्राप्त अधिकतम मतों के क्रम से बनायेगा और भरे जात स्थानों की संख्या के अनुसार उस क्रम में सफल अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित करेगा।



(2) यदि इस प्रकार निर्वाचित हो गए घोषित कोई अभ्यर्थी निर्वाचन को स्वीकार करने से इन्कार करता है तो उस अभ्यर्थी के स्थान पर शेष अभ्यर्थियों में से एक को, जिसे निकटतम अधिकतम मत दिय गये हैं निर्वाचित हो गया समझा जायेगा, और उही प्रक्रिया को इस प्रकार जितनी भी बार रिक्त हो, अनुसरण किया जायेगा।

(3) जब किन्हीं अभ्यर्थियों के बीच मत बराबर हों तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में, जिसे/जिनके बारे में समझा जायेगा कि वह/वे निर्वाचित हो गया है/गये हैं, रिटर्निंग आफिसर द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा ऐसी रीति जो वह अवधारित कर, निकाले जाने वाले लाट द्वारा अवधारित किया जायेगा।

(4) जैसे ही परिणाम घोषित हो जाये, रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक सफल अभ्यर्थी को परिषद के लिए उसके निर्वाचित होने की सूचना देगा।

20. मतपत्र रखे जायेंगे.—गणना के पूर्ण हो जाने पर और परिणाम घोषित हो जाने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर मतपत्रों और निर्वाचन से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों को मुद्रांकित करेगा और उन्हें 6 मास की अवधि तक रखेगा तथा अधिलेखों को 6 मास के पश्चात् भी राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना नष्ट नहीं करेगा या करवायेगा।

21. निर्वाचन के परिणामों की सूचना.—(1) रिटर्निंग आफिसर निर्वाचित अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार को सूचित करेगा ताकि राज्य सरकार उसे धारा 32 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत उसे हिमाचल प्रदेश राजपत्र में छपवा सके।

22. यदि निर्वाचन के बारे में कोई विवाद उठता है और उसके बारे में परिणाम घोषित होने की तिथि के 15 दिन के भीतर रिटर्निंग आफिसर को शिकायत की जाती है, वह शिकायत राज्य सरकार को भेज दी जायेगी और धारा 37 के अन्तर्गत इस पर सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

23. राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के प्रधान के निर्वाचन के लिए प्रक्रिया.—(1) राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के प्रधान का निर्वाचन, उनके गठन या पुनर्गठन के पश्चात् जैसी भी स्थिति हो इस की प्रथम बैठक में उसके अपने सदस्यों में से सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

(2) रजिस्ट्रार बैठक में उपस्थित सदस्यों को उक्त प्रधान के पद के लिए अपने नामांकन दायर करने के लिए आमन्त्रित करेगा। प्रत्येक नामांकन का बैठक में उपस्थित किसी अन्य सदस्य द्वारा समर्थक के रूप में समर्थन किया जाएगा:

परन्तु यह और कि कोई भी सदस्य उक्त पद के लिए एक से अधिक सदस्यों को नाम निर्दिष्ट नहीं करेगा या उनका समर्थन नहीं करेगा।

(3) यदि ऐसा नाम निर्दिष्ट केवल एक ही व्यक्ति हो तो उसे राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के प्रधान के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

(4) यदि, तथापि, वहाँ पर सम्यक् रूप से नाम निर्दिष्ट और समर्थित एक से अधिक सदस्य हों तो रजिस्ट्रार निम्नलिखित रीति में मतदान कराने की कार्यवाही करेगा अर्थात्:—

(क) प्रत्येक उपस्थित सदस्य को एक स्लिप दी जाएगी जिस पर वह उस निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम अंकित करेगा, जिसके पक्ष में वह अपना मत देना चाहता हो। तब वह स्लिप को मोड़ेगा और उसे रजिस्ट्रार को सुपुर्द करेगा।

(ख) रजिस्ट्रार सभी स्लिपों की प्राप्ति पर, प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मतों की गणना करेगा और ऐसे सदस्य को जो सब से अधिक मत प्राप्त करता है, राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के प्रधान के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

(ग) यदि दो या उससे अधिक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को एक समान मत प्राप्त हों और ऐसी स्थिति में यह निर्णय करना कठिन हो जाए कि सबसे अधिक मत किसको प्राप्त हैं तो रजिस्ट्रार ऐसी विवाध्य का ऐसी रीति में जैसी वह उचित समझ भाग्य पत्रक द्वारा विनिश्चय करेगा।

हस्ताक्षरित/-  
सचिव।

## प्ररूप-1

निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने का दावा

(कृपया नियम 5 और 6 देखें)

सेवा में

रजिस्ट्रार,  
हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद्,  
शिमला-2.

महोदय,

मैं, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के अधीन बनाये गये हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् (निर्वाचन) नियम, 1989 के नियम 5 तथा 6 के अधीन उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (ए) के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के आगामी निर्वाचन के लिए मैं अपना नाम सम्मिलित करने का दावा प्रस्तुत करता हूँ।

नाम (बड़े अक्षरों में) \_\_\_\_\_

पता \_\_\_\_\_

शैक्षणिक अर्हताएं \_\_\_\_\_

पद और पदीय पता, यदि कोई हो \_\_\_\_\_

दावा के आधार (प्रमाण के साथ, यदि कोई हो) \_\_\_\_\_

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ तथा \_\_\_\_\_

राज्य \_\_\_\_\_ में रहता हूँ और \_\_\_\_\_

राज्य में औषधि का व्यवसाय कर रहा हूँ।

स्थान .....

दावेदार के हस्ताक्षर।

तारीख .....

## प्ररूप-2

(कृपया नियम 5-6 देखें)

प्ररूप निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि पर आक्षेप

सेवा में

रजिस्ट्रार,  
हिमाचल प्रदेश, पशु चिकित्सा परिषद्,  
शिमला।

महोदय,

मैं एतद्वारा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के अन्तर्गत बनाये गये हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् (निर्वाचन) नियम, 1989 के नियम 5 और 6 के अधीन, उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (ए) के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के निर्वाचन सम्बन्धी तैयार की गई निर्वाचक नामावली में निम्नलिखित प्रविष्टि के लिए अपना आक्षेप प्रस्तुत करता हूँ।



1. उस व्यक्ति का नाम (बड़े अक्षरों में) जिसके नाम की निर्वाचक नामावली में प्रविष्टी पर आक्षेप किया गया है : \_\_\_\_\_

2. आपत्ति की गई प्रविष्टी की विवरणी \_\_\_\_\_

3. प्रविष्टी पर आक्षेप के आधार \_\_\_\_\_

स्थान .....

तारीख .....

(आक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर)

प्रारूप निर्वाचक नामावली में दर्ज किए गए आक्षेपकर्ता की क्रम संख्या और नाम : \_\_\_\_\_

आक्षेपकर्ता का पता : \_\_\_\_\_

स्थान .....

प्रतिहस्ताक्षर

तारीख .....

प्रारूप निर्वाचक नामावली में क्या दर्ज प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले की क्रम संख्या और नाम : \_\_\_\_\_

प्रतिहस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पता : \_\_\_\_\_

प्ररूप-3  
(नियम 10 देखें)  
नामांकन-पत्र

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 32 की उप-धारा (1) के खण्ड (ए) के अधीन हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद् के लिए निर्वाचन।

1. अभ्यर्थी का नाम \_\_\_\_\_

2. पिता का नाम \_\_\_\_\_

3. आयु तथा जन्म तिथि \_\_\_\_\_

4. शिक्षा का स्वरूप \_\_\_\_\_

5. पंजीकृत संख्या (राज्य पशु चिकित्सा परिषद् रजिस्टर में) \_\_\_\_\_

6. राज्य पशु चिकित्सा के रजिस्टर या इस के अनुपूरक में पृष्ठ संख्या (वर्ष दर्शाते हुए जिस पर नाम दर्ज है) : \_\_\_\_\_

7. नामावली में क्रम संख्या : \_\_\_\_\_

8. पता : \_\_\_\_\_

गृह संख्या \_\_\_\_\_

खण्ड/गली संख्या \_\_\_\_\_

ग्राम/नगर \_\_\_\_\_

डाकघर \_\_\_\_\_

पिनकोड \_\_\_\_\_



9. प्रस्थापक का नाम -----
10. प्रस्थापक के हस्ताक्षर-----
11. प्रस्थापक का राज्य परिषद् चिकित्सा के रजिस्टर में पंजीकृत संख्या और उक्त कथित रजिस्टर या इसके अनुपूरक में पृष्ठ संख्या (वर्ष दर्शाते हुए जिस पर नाम दर्ज है) ।
12. नामावली में क्रम संख्या-----
13. समर्थक का नाम-----
14. समर्थक के हस्ताक्षर-----
15. राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर में समर्थक की पंजीकृत संख्या कथित रजिस्टर या इसके अनुपूरक में पृष्ठ संख्या (वर्ष दर्शाते हुए जिस पर नाम दर्ज है) -----
16. नामावली में क्रम संख्या-----

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा :

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं इस नामांकन से सहमत हूँ ।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर) ।

यह नामांकन-पत्र मुझे तारीख ----- को -----  
समय ----- बजे को स्थान ----- पर  
प्राप्त हुआ था ।

(रिटनिंग आफिसर के हस्ताक्षर)

रिटनिंग आफिसर द्वारा जो अनुदेश नामांकन-पत्र तारीख ----- को -----  
बजे (समय) से पूर्व प्राप्त नहीं होते हैं, अविधि मान्य होंगे ।

प्ररूप-4

[नियम 15 (2) देखिये]

सूचना-पत्र

महोदय/महोदया,

वे व्यक्ति, जिनके नाम संलग्न मतपत्र पर छपे हुए हैं। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 32 (1) (क) के अर्वाह हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों के रूप में नाम निर्दिष्ट किये गये हैं । यदि आप निर्वाचन में मत देना चाहते हैं, मैं अनुरोध करता हूँ कि आप:—

(क) घोषणा पत्र (प्रपत्र-5) भरें और उसे हस्ताक्षर करें ।

(ख) मत-पत्र में, उसमें छपे यथा निर्देशानुसार प्रयोजित के लिए उपबंधित स्तम्भ में अपना मत चिह्नित करेगा ।

(ग) मतपत्र पर छोटे से लिफाफे में डाल कर उसे चिपका दें, और

(घ) जब उस छोट से लिफाफे और घोषणा पत्र को बाह्य लिफाफे में जो काफी बड़ा है और जिस पर मेरा पता पहल से ही छपा हुआ है बन्द कर और उसे अपने खर्च पर डाक द्वारा मेरे पास लौटा दें या स्वयं मेरे कार्यालय में परिदत्त करें जिससे कि वह ----- 19 को -----  
बजे के भीतर मेरे पास पहुंच जायें ।

2. मतपत्र को उस दशा में नामंजूर कर दिया जायेगा, यदि

(क) वह बाह्य लिफाफा, जिसमें मतपत्र वाला लिफाफा और घोषणा पत्र बन्द है डाक द्वारा नहीं भेजा



जाता है या स्वयं मेरे कार्यालय में परिदत्त नहीं किया जाता है या मतदान बन्द होने के लिए नियत समय के पश्चात् प्राप्त होता है, या

- (ख) बाह्य लिफाफे में छोटे से लिफाफे के बाहर कोई घोषणा पत्र नहीं, या
- (ग) मतपत्र को मतपत्र वाले लिफाफे के बाहर रखा गया है, या
- (घ) घोषणा पत्र वह नहीं है जो रिटनिंग आफिसर द्वारा मतदाता को भेजा गया था, या
- (ङ) एक से अधिक घोषणा पत्र मतपत्र वाले लिफाफे एक ही और उसी बाह्य लिफाफे में बन्द किये गए हैं, या
- (च) घोषणा पर मतदाता के हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं, या
- (छ) मतपत्र अविधिमान्य है।

3. मतपत्र उस दशा में अविधिमान्य हो जायेगा, यदि

- (1) उस पर रिटनिंग अधिकारी के हस्ताक्षर का प्रतिरूप हस्ताक्षर नहीं हैं, या
- (2) मतदाता मतपत्र पर अपना नाम हस्ताक्षरित करता है या उस पर कोई ऐसा शब्द लिखता है या कोई ऐसा चिन्ह बनाता है या जिसके द्वारा वह उसके मतपत्र के रूप में पहचानने योग्य हो जाये, या
- (3) उस पर कोई मत अभिलिखित नहीं किया जाता है, या
- (4) उस पर अभिलिखित मतों की संख्या भरी जाने वाली संख्या से अधिक हो जाती है, या
- (5) वह प्रयोग किये गये मत की अनिश्चितता के कारण शून्य हो जाता है।

4. यदि कोई मतदाता किसी मतपत्र को अनुबधानता से खराब कर देता है तो वह उसे मतदान के लिए नियत की गई तारीख के 15 दिन पहले रिटनिंग अधिकारी को लौटा सकता है, जो यदि उसका उस अनुबधानता के बारे में समाधान हो गया है तो उसे दूसरा मतपत्र जारी करेगा।

5. मतों की संवीक्षा और गणना—को समय—बजे प्रारम्भ होगी।

6. संवीक्षा और गणना के समय, रिटनिंग आफिसर ऐसे अन्य व्यक्तियों जिन्हें वह अपनी सहायता के लिये नियुक्त करे, अभ्यर्थियों या उनके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेगा।

रिटनिंग आफिसर।

प्ररूप-5

[नियम 15(2) देखिए]

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 32(1)(क) के अधीन हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद् के लिए निर्वाचन।

मतदाता का नाम—

राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण संख्या और उस रजिस्टर या अनुपूरक में पृष्ठ संख्या (व का उल्लेख करते हुए) जिस पर नाम दर्शित है )।

मतदाता की घोषणा

मैं, ————— (पूरा नाम, और पद नाम, कोई है) घोषणा करता हूँ कि मैं भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 32 की उप-धारा (1)



खण्ड (ए) के अधीन निर्वाचक मण्डल द्वारा हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदाता हूं और मैंने इस निर्वाचन में कोई अन्य मतपत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

स्थान:.....

मतदाता के हस्ताक्षर.....

तारीख:.....

प्ररूप-6

[नियम 15(2) देखें]

मतपत्र

मतपत्र की क्रम संख्या..... भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम, 1984 (1984 की धारा 52) के अधीन हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद् के लिए सदस्य/सदस्यों का निर्वाचन किया जायेगा।

क्रम संख्या	सम्यक रूप से नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों का नाम और पता	मत
-------------	---	----

रिटनिंग अधिकारी के अध्याक्षर/प्रतिरूप हस्ताक्षर.....

अनुदेश 1

1. प्रत्येक मतदाता को उतने अभ्यर्थियों का मत देने का अधिकार है जितने निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या है।

2. वह उस अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के जिसे (जिन्हें) वह मत देना चाहता है, नाम (नामों) के सामने "X" चिन्ह लगा कर मत देगा।

3. मतपत्र उस दशा में अविधिमान्य हो जायेगा यदि—अध्याक्षर

(क) उस पर रिटनिंग अधिकारी के हस्ताक्षर या प्रतिरूप हस्ताक्षर नहीं हैं, या

(ख) मतदाता उस पर अपना नाम हस्ताक्षरित करता है या उस पर कोई ऐसा है शब्द लिखता या कोई ऐसा चिन्ह "X" अंकित दख्खत है, जिससे पहचान हो जाये कि वह उसका मतपत्र है।

(ग) उस पर कोई मत अभिलिखित नहीं किया जाता है, या

(घ) यदि "X" चिन्ह इस प्रकार लगाया जाता है कि जिससे यह सन्देह उत्पन्न हो जाये कि किस अभ्यर्थी के प्रति लगाया जाना आश्रित है या ऐसा चिन्ह निर्वाचित किये जाने वाले अभ्यर्थियों से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने अंकित किया जाता है।

प्ररूप-7

(नियम 22 देखिये)

राज्य पशु चिकित्ता परिषद् के सदस्यों का रजिस्टर

क्रम संख्या	नाम व जन्म तिथि (बड़े अक्षरों में)	पता	क्या निर्वाचित या मनोनीत किया गया	धारा जिसके अधीन चुना या मनोनीत किया गया
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

(स्तम्भ जारी)

राजपत्र में नाम की क्रम संख्या और तारीख की अधिसूचना	पदावधि की अवधि के प्रारम्भ की तारीख	पदावधि की समाप्ति की तारीख	नियत तारीख से पहले (यदि कोई है) की समाप्ति की तारीख और कारण	टिप्पणी पदावधि, यदि कोई है
6	7	8	9	10



[Authoritative English text of the Government Notification No. Ahy-F (5) 3/85, dated 27-9-1989 is hereby published in the Official Gazette, Himachal Pradesh, as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

## ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th September, 1989

No. Ahy-F(5)-3/85.—In exercise of the powers conferred by section 65 read with sections 36 and 37 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely :—

#### PART-I

#### PRELIMINARY

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Veterinary Council (Election) Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

2. *Definitions.*—(1) In these rules, unless otherwise the context requires,—

- (a) 'Act' means the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984);
- (b) 'election' or 're-election' means election or re-election to the State Veterinary Council;
- (c) 'Form' means a Form appended to these rules;
- (d) 'nomination' or 're-nomination' means nomination or re-nomination to the State Veterinary Council;
- (e) 'Registrar' means Registrar of the State Veterinary Council;
- (f) 'Register' means the State Veterinary Practitioners' register maintained under Chapter VII of the Act;
- (g) 'Returning Officer' or 'Assistant Returning Officer' means any Officer appointed as such by the State Government under rule 8 of these rules;
- (h) 'State Veterinary Council' means the Himachal Pradesh State Veterinary Council established under section 32 of the Act;
- (i) 'Section' means a section of the Act;
- (j) 'State Government' means the Government of Himachal Pradesh.

(2) Words and expressions used in these rules and not separately defined above shall have the same meaning as in the Act.

#### PART-II

#### ELECTION TO THE STATE VETERINARY COUNCIL

3. *Notification for election.*—For purposes of electing the members of the State Veterinary Council under clause (a) of sub-section (1) of section 32, the State Government shall, by a notification published in its Official Gazette, call upon the persons enrolled in the Himachal Pradesh State Veterinary Register maintained under Chapter VII of the Act to elect the said members in accordance with the provisions of these rules.



4. *Preparation of the roll.*—(1) As soon as may be after the notification under rule 3 is issued, the Registrar shall prepare the roll which shall contain the name of every person whose name is entered in the register.

(2) The names of the electors shall be arranged in the order in which they are entered in the register.

(3) The Registrar shall publish the roll prepared under sub-rule (1) of rule 4, for inviting claims or objections, by making a copy thereof available for inspection by displaying it in the office of the State Council.

5. *Period for lodging claims and objections.*—Every claim for inclusion of a name in the roll and every objection to an entry therein shall be lodged within a period of thirty days from the date of publication of the roll under rule 4 (3) in Forms I and II respectively.

6. *Forms of claim and objection and the manner of their disposal.*—(1) Every claim in Form I shall be signed by the person who requires his name to be included in the roll.

(2) Every objection in Form II to the inclusion of a name in the roll shall be preferred by a person whose name is already included in the roll and shall be countersigned by another person whose name is also included in the roll.

(3) Every such claim or objection, as the case may be, shall be examined by the Registrar who shall record his remarks thereon, following which he may either allow or reject the claim or objection:

Provided that a claim or objection shall not be rejected unless the person making it is given an opportunity of making representation against such rejection.

(4) The decision of the Registrar allowing or rejecting a claim or objection shall be final.

7. *Final publication of the roll.*—(1) The Registrar shall, after disposing of the claims and objections, if any, under rule 6, prepare a list of amendments to carry out his decisions under the said rule and to carry out any clerical or printing error and other inaccuracies in the roll subsequently discovered or brought to his notice.

(2) The Registrar shall publish the roll together with the list of amendments by making a complete copy thereof available for inspection by displaying it at the office of the State Veterinary Council.

(3) On such publication, the roll together with the list of amendments shall be the electoral roll of persons who may elect the members of the State Veterinary Council under clause (a) of sub-section (1) of section 32 of the Act.

(4) A copy of the roll together with the list of amendments published under sub-rule (2) shall be sent by the Registrar to the State Government.

8. *Appointment of Returning Officer and Assistant Returning Officer.*—(1) The State Government shall, after receipt of a copy of the electoral roll published under Rule 7, appoint a Returning Officer who shall be an Officer of the State Government.

(2) The State Government may also appoint one or more persons, who shall also be officers of the State Government, to assist the Returning Officer in the performance of his functions, as Assistant Returning Officers.



(3) Every Assistant Returning Officer shall, subject to the control of the Returning Officer, be competent to perform all or any of the functions of the Returning Officer:

Provided that no Assistant Returning Officer shall, perform any of the functions of the Returning Officer which relate to the issue of voting papers, counting of voting papers, and declaration of results of election.

9. *Appointment of dates for nomination, etc.*—(1) The Returning Officer shall, by notification in the Official Gazette of Himachal Pradesh or in such other manner as he deems fit, appoint:

- (a) the date for making nominations which shall be the seventh day after the date of publication of the said notification or, if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;
- (b) the last date for withdrawal of candidature which shall be the second day after the date for scrutiny of nominations or, if that day is a public holiday the next succeeding day which is not a public holiday;
- (c) the date on which a poll shall, if necessary, be taken, which shall be a date not earlier than the thirtieth day after the last date for withdrawal of candidature;
- (d) the date, the time and the place for counting of votes and for declaration of results which shall not be beyond the third day from the date of poll.

(2) The notification, issued under sub-rule (1), shall also invite nomination papers of candidates for election to the Council and specify the place at which the nomination papers are to be delivered.

10. *Presentation of nomination papers and requirements for valid nominations.*—(1) On or before the date appointed under clause (a) of sub-rule (1) of rule 9 each candidate shall send by registered post with acknowledgement due or deliver in person to the Returning Officer a nomination paper in Form III.

(2) Every nomination paper shall be subscribed by two electors, one as the proposer and the other as the seconder and assented by the candidate proposed and seconded by them:

Provided that no elector shall subscribe as proposer or seconder more nomination papers than there are seats to be filled up:

Provided further that, if an elector subscribes to more number of nomination papers than there are seats to be filled up, the nomination papers first received by the Returning Officer equal to the number of seats to be filled up shall, if they are otherwise in order, be held to be valid, and if all such nomination papers subscribed by the same elector in excess of the number of seats to be filled up are received simultaneously, all such nomination papers shall be held to be invalid.

(3) On receipt of each nomination paper the Returning Officer shall endorse thereon the date and the hour of its receipt.

11. *Rejection of nomination paper.*—A nomination paper which is not received on or before the date appointed by the Returning Officer in that behalf shall be rejected.

12. *Scrutiny of nomination papers.*—(1) On the date and the time appointed by the Returning Officer for scrutiny of nomination papers, the candidates and the proposer and the seconder of each candidate or other representatives duly authorized by the candidates in this behalf, may attend the office of the Returning Officer who shall allow them to examine the nomination papers of all the candidates which have been received by him as aforesaid.



(2) The Returning Officer shall examine the nomination papers thus received and decide all questions which may arise as to the validity of any nomination and his decision thereon shall be final.

13. *Withdrawal of candidature.*—(1) Any candidate may withdraw his candidature by notice in writing signed by him and delivered to the Returning Officer before the date fixed under clause (c) of sub-rule (1) of rule 9.

(2) A candidate who has withdrawn his candidature shall not be allowed to cancel the withdrawal or to be renominated as a candidate for the same election.

14. *Publication of the list of contesting candidates.*—(1) Immediately after the expiry of the period within which candidatures may be withdrawn under rule 13, the Returning Officer shall prepare and publish a list of contesting candidates in one of the leading newspapers in the State that is to say, candidates who were validly nominated and who have not withdrawn their candidatures within the said period.

(2) The said list shall contain the names (in alphabetical order) and the addresses of the contesting candidates as given in the nomination papers.

(3) The said list shall be published in the Official Gazette of Himachal Pradesh and given wide publicity in such manner as the Returning Officer may deem fit.

15. *The Poll.*—(1) If the number of duly nominated candidates for election does not exceed the number of members to be elected, the Returning Officer shall forthwith declare such candidates to be duly elected.

(2) If the number of such candidates exceeds the number of members to be so elected, the Returning Officer shall, not later than thirty days before the date appointed, for the poll, send by air mail to every elector residing or practising abroad, and by registered post to every other elector within the State or outside it but within the country a letter of intimation in Form IV together with a numbered declaration paper in Form V, a voting paper in Form VI containing the names of candidates in alphabetical order and bearing the Returning Officer's initials or facsimile signature, a voting paper cover addressed to the Returning Officer and an outer cover also addressed to the said Officer:

Provided that the voting paper and other connected papers may also be sent to any elector on his applying to the Returning Officer for the same before the date appointed for the poll, if the Returning Officer is satisfied that the papers have not been sent to him.

(3) A certificate of posting shall be obtained in respect of each such letter of intimation sent to an elector.

(4) An elector who has not received the voting and other connected papers sent to him by post or who has lost them or in whose case the papers before their return to the Returning Officer have been inadvertently spoilt, may transmit a declaration in writing to that effect and request the Returning Officer not later than fifteen days before the date appointed for the poll to send him fresh papers, and if the papers have been spoilt, the spoilt papers shall be returned to the Returning Officer, who shall cancel them on receipt.

(5) In every case in which such fresh papers have been issued, a mark shall be placed against the number relating to the elector's name in the electoral roll to denote that fresh papers have been issued to him.



(6) No election shall be invalid by reason of non-receipt, by an elector, of his voting paper and other connected papers.

(7) Each elector shall have the right to vote for as many candidates as there are seats to be filled by the election, and the vote shall be non-transferable.

(8) Every elector desirous of recording his vote shall, after filling up the declaration paper (Form V) and the voting paper (Form VI) according to the directions given in the letter of intimation (Form IV), enclose the voting paper in the voting paper cover, stick up and enclose the said cover along with the declaration paper in the outer envelope addressed to the Returning Officer, and send that outer envelope by post at the elector's own cost or by hand to the Returning Officer, so as to reach him not later than the appointed time for closure of voting on the date fixed for the poll.

(9) On receipt by post, or by hand, of the envelope containing the declaration paper and the closed cover containing the voting paper the Returning Officer shall endorse on the outer envelope the date and the hour of its receipt.

(10) All envelopes received after the said day and hour shall be rejected.

16. *Opening of cover.*—(1) The Returning Officer shall open the outer envelopes immediately after the appointed time for closure of voting on the date fixed for the poll at the place to which the envelopes are addressed to him.

(2) Any candidate may be present in person or may send a representative duly authorised by him, in writing, to be present at the time when the outer envelopes are opened.

17. *Rejection of voting paper covers.*—(1) A voting paper shall be rejected by the Returning Officer if ;—

- (a) the outer envelope contains no declaration paper outside the voting paper cover, or
- (b) the declaration paper is not the one sent by the Returning Officer, or
- (c) the declaration paper is not signed by the elector, or
- (d) the voting paper is placed outside the voting paper cover, or
- (e) more than one declaration paper or voting paper cover have been enclosed in one and the same outer envelope.

(2) In each case of rejection, the word "rejection" shall be endorsed on the voting paper cover and the declaration paper. The reasons for the rejection shall also be recorded, in brief, on the voting paper cover.

(3) After satisfying himself that the electors have affixed their signatures to the declaration papers, the Returning Officer shall keep all the declaration papers in safe custody pending disposal under rule 20.

18. *Scrutiny and counting of votes.*—(1) On the date appointed for the counting of votes, the voting paper covers other than those rejected under rule 17 shall be opened and the voting papers taken out and mixed together.

(2) The voting papers shall then be scrutinised and the valid votes counted.

(3) Any candidate may present in person or may send a representative duly authorised by him, in writing, to watch the process of counting.



(4) A voting paper shall be invalid if,—

- (a) it does not bear the Returning Officer's initials or facsimile signature, or
- (b) a voter signs his name on the voting paper, or writes any word on it, or makes a mark on it by which it becomes recognisable as his voting paper, or
- (c) no vote is recorded thereon, or
- (d) it is void for uncertainty of the vote recorded, or
- (e) the number of votes recorded thereon exceeds the number to be elected, or
- (f) the recording of the vote has been done at a place other than that provided for the purpose.

(5) The Returning Officer shall show the voting papers to the candidates or their authorised representatives at the time of scrutiny and counting of votes, if so requested.

(6) If any candidate or his representative makes an objection to the acceptance of a voting paper on the ground that it does not comply with the specified requirements, or to the rejection of a voting paper by the Returning Officer, it shall be decided at once by the Returning Officer whose decision thereon shall be final.

(7) The Returning Officer shall nominate such number of scrutinisers as he deems fit in accordance with such directions as may be issued in this behalf by the State Government.

19. *Declaration of results.*—(1) When the counting of votes has been completed, the Returning Officer shall draw up a list of candidates in the order of highest votes polled by each and shall declare the result of the successful candidates in that order according to the number of seats to be filled up.

(2) If any candidate thus declared elected refuses to accept the election, then in the place of that candidate one of the remaining candidates to whom the next largest number of votes have been cast shall be deemed to have been elected, and the same procedure shall be adopted as often as a vacancy is caused in this way.

(3) When there is equality of votes among any two or more candidates, then the person or persons, as the case may be, who shall be deemed to have been elected shall be determined by lots to be drawn by the Returning Officer or any other officer authorised by him in such manner as he may determine.

(4) The Returning Officer shall, as soon as the result is declared, inform each successful candidate of his being elected to the State Veterinary Council.

20. *Voting papers to be retained.*—Upon the completion of the counting and after the result has been declared, the Returning Officer shall seal the voting papers and all other documents relating to the election, and shall retain the same for a period of six months, and shall not destroy or cause to be destroyed these records even after the expiry of the said six months without the previous concurrence of the State Government.

21. *Intimation of results of election.*—(1) The Returning Officer shall intimate the names of the elected candidates to the State Government [for enabling it to fulfil its statutory obligation of publishing their names in the Official Gazette of Himachal Pradesh under sub-section (2) of section 32 of the Act].

(2) In case of any dispute regarding the election, which may be lodged with the Returning Officer within fifteen days of declaration of the results of that election, it shall be referred to the State Government for its decision, under section 37 of the Act which shall be final.



## PART-III

## ELECTION OF THE PRESIDENT OF THE STTAE VETERINARY COUNCIL

22. *Register of members of the State Veterinary Council.*—The office of the State Veterinary Council shall maintain a register in Form VII giving the names and other details of the members elected or nominated to it from time to time.

23. *Procedure for election of the President of the State Council.*—(1) The election of the President of the State Veterinary Council by the Members of that Council from amongst themselves shall be held at the first meeting of the said Council after its constitution or re-constitution, as the case may be.

(2) The Registrar shall invite the members present at that meeting to make their nominations for the office of the said President. Each nomination shall be supported by another member present at that meeting as the seconder:

Provided that no member shall nominate or second more than one member for the said Presidentship.

(3) If there be only one person so nominated, he shall be declared duly elected as the President of the State Veterinary Council.

(4) If, however, there be more than one member duly nominated and seconded for the said Presidentship, the Registrar shall proceed to take ballots in the following manner, namely:—

(a) A slip of paper shall be given to every member present who shall write on it the name of one of the contestants in whose favour the member wishes to cast his vote. He shall then fold the slip and hand it over to the Registrar.

(b) On receipt of all the slips the Registrar shall count the number of votes secured by each contestant and shall declare that member who secures the largest number of votes to be duly elected as the President of the State Veterinary Council.

(c) If there is an equality in the votes secured by two or more contestants thus making it difficult to decide as to who gets the maximum votes, the Registrar may then decide the issue by taking lots in such manner as he deems fit, and the person so identified by the draw of lots shall be declared as duly elected as the President of the State Veterinary Council.

By order,

Sd/-

Secretary.

FORM I

CLAIM FOR INCLUSION OF A NAME IN THE ELECTORAL ROLL

(See Rules 5 and 6)

To

The Registrar,  
Himachal Pradesh State Veterinary Council,  
Shimla.

Sir,

I do hereby file, under rules 5 and 6 of the Himachal Pradesh State Veterinary Council Election Rules, 1989 framed under the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), my claim for inclusion of my name in the electoral roll for the ensuing election to the Himachal Pradesh State Veterinary Council under clause (a) of sub-section (1) of section 32 of the said Act. The relevant details are given below :—

Name (in block letters).....  
Address.....  
Academic qualifications.....  
Designation and official address if any.....  
Grounds for the claim (with proof if any).....

I declare that I am a citizen of India, residing in .....State  
and practicing Veterinary medicines/employed in .....State.

Place.....

(Signature of claimant)

Date.....

FORM II

OBJECTION TO AN ENTRY IN THE DRAFT ELECTORAL ROLL

(See rules 5 and 6)

To

The Registrar,  
Himachal Pradesh State Veterinary Council,  
Shimla.

Sir,

I do hereby file, under rules 5 and 6 of the Himachal Pradesh State Veterinary Council Election Rules, 1989 framed under the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), my objection to the following entry in the electoral roll prepared by you in connection with the ensuing election to the Himachal Pradesh State Veterinary Council under clause (a) of sub-section (1) of section 32 of the said Act :—

1. Name of the persons (in block letters) the entry of whose name in the electoral roll is objected to.....



2. Particulars of entry objected to.....
3. Grounds of objection to the entry .....

(Signature of the objector)

Place.....

Date.....

Serial No. and name of.....  
 objector, as entered in.....  
 the Electoral Roll.....  
 Address of objector.....

(Countersignature)

Place.....

Date.....

Serial No. and name of the person counter-.....  
 signing as entered in the Electoral Roll.....  
 Address of the person countersigning.....

## FORM III

## NOMINATION PAPER

(see rule (10))

Election to the Himachal Pradesh State Veterinary Council under clause (a) of sub-section (1) of section 32 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (32 of 1984).

1. Name of the candidate.....
2. Father's name.....
3. Age and date of birth.....
4. Nature of qualification.....
5. Registered number (in the State Veterinary Register).....
6. Page No. in the State Veterinary Register or its supplement (mentioning the year in which the name appears).....
7. Serial No. in the roll.....
8. Address:—House No. ....  
 Block/Street No. ....  
 Village/Town .....  
 Post office .....  
 PIN Code. ....
9. Name of proposer.....
10. Signature of proposer.....



11. Registered No. of proposer in the State Veterinary Register and the page No. in the said Register or its supplement (mentioning the year) in which the name appears. \_\_\_\_\_
  12. Serial No. in the roll \_\_\_\_\_
  13. Name of seconder \_\_\_\_\_
  14. Signature of seconder \_\_\_\_\_
  15. Registered No. of seconder in the State Veterinary Register and the page No. in the said Register or its supplement (mentioning the year) in which the name appears \_\_\_\_\_
  16. Serial No. in the roll \_\_\_\_\_
- Declaration by the candidate

I hereby declare that I agree to this nomination

(Signature of the candidate)

This nomination paper was received by me at (place) \_\_\_\_\_  
on (date) \_\_\_\_\_ at (time) \_\_\_\_\_

(Signature of Returning Officer)

### INSTRUCTIONS

Nomination papers which are not received by the Returning Officer before (hour) \_\_\_\_\_  
on the \_\_\_\_\_ will  
be invalid.

### FORM IV

### LETTER OF INTIMATION

(See rule 15)

Sir/Madam,

The persons whose names are printed on the enclosed voting paper have been duly nominated as candidates for election to the Himachal Pradesh State Veterinary Council under Section 32 (1) (a) of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) Should you desire to vote at the election, I request that you will. :—

- (a) fill up and sign the declaration paper (Form V);
- (b) mark your vote in the column provided for the purpose in the voting paper (Form VI) as per instructions printed on the voting paper;
- (c) enclose the voting paper in the smaller cover and stick it up; and
- (d) enclose the smaller cover and the declaration paper in the outer envelope which is larger and on which my address is already printed and return the same to me by post at your cost or deliver it in person in my office so as to reach me not later than \_\_\_\_\_ on the \_\_\_\_\_ of 19 \_\_\_\_\_

2. The voting paper will be rejected if—

- (a) the outer envelope enclosing the voting paper cover and the declaration paper is not sent by post or not delivered in person in my office or received later than the hour fixed for the closing of the poll; or



- (b) the outer envelope contains no declaration paper outside the smaller cover; or
- (c) the voting paper is placed outside the voting paper cover; or
- (d) the declaration paper is not the one sent by the Returning Officer to the voter;  
or
- (e) more than one declaration paper or voting paper cover have been enclosed in one and the same outer envelope; or
- (f) the declaration is not signed by the elector; or
- (g) the voting paper is invalid.

3. A voting paper will be invalid if :—

- (i) it does not bear the Returning officer's initials or facsimile signature; or
- (ii) a voter signs his name on the voting paper or writes any word on it or makes any mark by which it becomes recognisable as his voting paper; or
- (iii) no vote is recorded thereon; or
- (iv) the number of votes recorded thereon exceeds the number to be elected; or
- (v) it is void for uncertainty of the vote exercised.

4. If a voter inadvertently spoils a voting paper, he can return it, not later than fifteen days before the date appointed for the poll, to the Returning Officer who will, if satisfied of such inadvertance, is sue to him another voting paper.

5. The scrutiny and counting of votes will begin on \_\_\_\_\_  
(date) at \_\_\_\_\_ (hour)

6. No person shall be present at the scrutiny and counting except the Returning Officer or such other persons as he may appoint to assist him, the candidates or their duly authorised representatives.

Returning Officer.

#### FORM V

### DECLARATION PAPER

(See rule 15)

Election to the Himachal Pradesh State Veterinary Council under section 32 (1) (a) of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984)

Elector's name \_\_\_\_\_

Registration Number on the State Veterinary

Register and page number in that Register

or its supplement (mentioning the year) \_\_\_\_\_

in which the name appears.

#### Elector's declaration

I, \_\_\_\_\_ (Name in full, and designation, if any) declare that I am an elector for the election of members to the Himachal Pradesh State Veterinary Council under clause (a) of sub-section (1) of section 32 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) and that I have submitted no other voting paper at this election.

Station \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Signature of elector \_\_\_\_\_



FORM VI

VOTING PAPER

[See rule 15 (2)]

Serial No. of voting paper \_\_\_\_\_  
\* \_\_\_\_\_ member (s) is/are to be elected to the Himachal Pradesh State Veterinary Council under the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984).

Sl. No.	Name and addresses of candidates duly nominated	Vote
1.		
2.		
3.		
4.		

Initials/facsimile signature of Returning Officer.....

INSTRUCTIONS

1. Each elector has the right to vote for as many candidates as the number of members to be elected.
2. He shall vote by placing the mark 'X' opposite the name (s) of the candidate (s) whom he prefers.
3. The voting paper shall be invalid if—
  - (a) it does not bear the Returning Officer's initials or facsimile signature; or
  - (b) the voter signs his name or writes a word or makes any mark on it, by which it becomes recognisable as his voting paper; or
  - (c) no vote is recorded thereon; or
  - (d) the mark 'X' is so placed as to render it doubtful to which candidate it is intended to apply, or if it is placed against the names of more number of candidates than required to be elected.

\*Number to be indicated.



## FORM VII

(See rule 22)

## REGISTER OF MEMBERS OF THE HIMACHAL PRADESH STATE VETERINARY COUNCIL

Sl. No.	Name (in block letters) and date of birth	Address	Whether elected, or nominated	Clause under which elected or nominated
1	2	3	4	5

No. and date of notification of name in Official Gazette	Date of commencement of the term of office	Due date of termination of office	Date of, and reason for the termination of office earlier than due date, if any	Remarks, if any
6	7	8	9	10